न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 31/2025 **दायर दिनांकः 09.04.2025**

उनवान

1. कान्ता देवी उर्फ घीसीबाई आयु 62 वर्ष पुत्री किशोरीलाल पत्नि विमलचन्द जाति महाजन निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी 92 बाबा हरीशचन्द मार्ग चान्दपोल जयपुर (राज०)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 30.06.2025**

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल आटोन पटवार क्षेत्र आटोन तहसील अटरू की खाता संख्या 739 के ख0नं0 690/2009 रकबा 0.32 है०, ख0नं0 735 रकबा 0.65 है० किता 2 रकबा 0.97 हैं० आराजी प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थिया का गलत नाम घीसीबाई पुत्री किशोरीलाल दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे प्रार्थिया के पिता के स्वर्गवास होने के बाद फोती नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थिया के घरवालो ने प्रार्थिया का बोलता नाम घीसीबाई लिखवा दिया हैं। इस वजह से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थिया का नाम घीसीबाई दर्ज है तथा जो प्रार्थिया का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थिया का सही नाम कान्ता देवी हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थिया का नाम कान्ता देवी है। इसलिए प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न हैं। प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न भिन्न नाम होने से प्रार्थिया को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने मे कई

प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम घीसीबाई के स्थान पर कान्ता देवी दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायलय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 17.03.2025 को प्रार्थिया द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थिया द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरुश्त करने का निवेदन के बावजूद भी नही करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम घीसीबाई के स्थान पर कान्ता देवी दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/1572 दिनांक 13.05.2025 से रिपोर्ट पेश की गई।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 अंकित जैन पुत्र अशोक जैन जाति महाजन निवासी आटोन तहसील अटरू व Pw2 कान्ता देवी उर्फ घीसीबाई पुत्री किशोरीलाल पत्नी विमलचन्द जाति महाजन निवासी आटोन हाल निवासी 921 बाबा हरीशचन्द मार्ग चान्दपोल जयपुर के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल आटोन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 739, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल आटोन सम्वत 2073–76 जमाबन्दी 2076 खाता संख्या 739, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी ग्राम व माल आटोन सम्वत 2073–76 जमाबन्दी 2076 खाता संख्या 739 में सहखातेदार अंकित जैन पुत्र अशोक जैन गायत्रीबाई ने घीसीबाई का नाम कान्ता देवी सही होना स्वीकार किया है। अंकित जैन गायत्रीबाई का पुत्र है जो प्रार्थिया की सगी बहिन है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल आटोन पटवार हल्का आटोन तहसील अटरू की खाता संख्या 739 के ख0नं0 690/2009 रकबा 0.32 है०, ख0नं0 735 रकबा 0.65 है० कुल किता 2 का रकबा 0.97 हैं० आराजी में सहखातेदार घीसी बाई पुत्री किशोरीलाल के स्थान पर कान्ता देवी उर्फ घीसी बाई पुत्री किशोरीलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल आटोन पटवार हल्का आटोन तहसील अटरू की खाता संख्या 739 के ख0नं0 690/2009 रकबा 0.32 है०, ख0नं0 735 रकबा 0.65 है० किता 2 रकबा 0.97 हैं० आराजी में सह खातेदार घीसी बाई पुत्री किशोरीलाल के स्थान पर कान्ता देवी उर्फ घीसी बाई पुत्री किशोरीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां